कार्यालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक 5169 ..../गो॰

प्रेषक,

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रांची।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
रांची जिला।

रांची, दिनांक 16-11-06 ....

विषय: स्थल जांच किए बिना समान प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तकनीकि स्वीकृति के पश्चात् विभिन्न स्तरो के जांचोपरांत रोजगार के मांग की आवश्यकता को देखते हुए प्रदान की गई है।

स्वीकृत तालाब की योजनाओं की प्राक्कलित राशि में एकरूपता एवं समानता इस तथ्य को इंगित करती है कि योजनाओ का प्राक्कलन स्थल जांच के बिना तैयार की गई है। पूर्व में स्पष्ट निदेश दिया गया था कि योजना का प्राक्कलन स्थल जांच के उपरांत तैयार किया जाये। जिनका अनुपालन नही किया गया। जिन योजनाओं की तकनीकि स्वीकृति प्रदान की गई है, उनका स्थलीय व भौतिक जांच कर अधोहस्ताक्षरी को उपस्थापित किया जाये कि प्राक्कलन स्थल जांच के उपरांत बनाए गए है एवं प्राक्कलन त्रृटि रहित है।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि सरकारी राशि का दुरूपयोग न हो साथ ही पारदर्शिता बनी रहे। इन योजनओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता दोषी होगें तथा उनके विरूद्ध कानूनी एवं अनुशासनात्मक कारवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

(कमल किशोर सोन)
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रांची।

ज्ञापांक............/गो॰ रांची, दिनांक.............

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, रांची/सभी प्रखण्डो के वरीय पदाधिकारी, रांची जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रांची जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रांची।